संख्या-35/2023/001-533-2366430-2023-12-5002-002-1-2021

प्रेषक,

राजीव श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक
उत्तर प्रदेश, कृषि भवन,
लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 लखनऊ : दिनांक 07 अप्रैल, 2023

विषय:- कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए स्वीकृत आय-व्ययक अनुमान के सापेक्ष अनुदान संख्या-11 में वित्तीय स्वीकृति के संबध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-बी०ए०/01/वित्तीय स्वीकृति 2023-24, दिनांक 03 अप्रैल, 2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं के लिये अनुदान संख्या-11 में कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के व्यय को वहन करने हेतु आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू.137775.53 लाख (रूपया तेरह अरब सतहत्तर करोड़ पचहत्तर लाख तिरपन हजार) को निम्नानुसार योजनावार/मदवार आपके निर्वतन पर रखकर अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

(धनराशि लाख रू0 में)

लेखाशीर्षक		प्राविधान 2023-24	स्वीकृति हेतु प्रस्तावित धनराशि
2401-फसल कृषि कर्म	मतदेय	104479.76	104479.76
	भारित	20.00	20.00
2402-मृदा तथा जल संरक्षण	मतदेय	32294.56	32294.56
2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	मतदेय	981.21	981.21
कुल योग	मतदेय	137755.53	137755.53
	भारित	20.00	20.00
महायोग		137775.53	137775.53

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1- उक्त अनुदान की धनराशि पर अनुदान निमयावली के समस्त नियम लागू होगें तथा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-1 के अध्याय-16ए के नियम इस अनुदान पर लागू होगें तथा इस सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-1 द्वारा निर्गत राजाज्ञा संख्या-1238/10-15(1)/63 दिनांक 17.01.1979 में उल्लिखित दिशा निर्देशों तथा शासनादेश संख्या-ए-2364/दस-15(1)/63, दिनांक 17.01.1979 में अनुलग्नित नियमावली का भी परिपालन किया जाये।

2- उक्त जारी स्वीकृति के सापेक्ष एकमुश्त धनराशि का आहरण न करते हुए आवश्य5कतानुसार धनराशि कोषागार से फेजिंग के आधार पर सुनिश्चि त की जाये। जहां तक सम्भव हो व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाये।

3- व्यय प्रतिनिधानित अधिकारों की सीमा के अधीन ही किया जाये। तथा जहां कही भी शासन की स्वीकृति व्यय हेतु आवश्यक हो उसे यथा समय प्राप्त किया जायेगा और व्यय को धनराशि की सीमा तक ही सीमिति रखा जाये।

4- समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/निर्देशों तथा व्यय बचत आयोग की संस्तुतियों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

5- कृषि विश्वयविद्यालय हेतु व्यावस्थित धनराशि उनको आवंटित की जाय तथा अनुदान का देयक जो कृषि विश्व्विद्यालय द्वारा बनाया जायेगा, वह कुलपति और अर्थ नियंत्रक द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित होगा। इस देयक पर संबंधित जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्तांक्षरित किया जायेगा। कृषि विश्वाविद्यालयों के लिए कुलपति अनुदान की धनराशि को आहरण के उपरान्त कृषि निदेशालय को सूचित करेंगे।

6- बी0एम0-13 के निर्धारित प्रपत्र पर मासिक व्यशय विवरण समय से वित्त विभाग को उपलब्ध कराते हुए उसकी तीन प्रतियां शासन के कृषि अनुभाग-5 को उपलब्ध कराया जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2401000010300 (कृषि निदेशालय का सामान्य अधिष्ठान)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	011	2401000010300 कृषि निदेशालय का सामान्य अधिष्ठान	01 वेतन	49,38,97,000 (रुपये उनचास करोड़ अड़तीस लाख सत्तानवे हजार मात्र)
2	011	2401000010300 कृषि निदेशालय का सामान्य अधिष्ठान	02 मजदूरी	26,00,000 (रुपये छब्बीस लाख मात्र)
3	011	2401000010300 कृषि निदेशालय का सामान्य अधिष्ठान	03 मंहगाई भत्ता	22,22,54,000 (रुपये बाईस करोड़ बाईस लाख चौवन हजार मात्र)
4	011	2401000010300 कृषि निदेशालय का सामान्य अधिष्ठान	04 यात्रा व्यय	12,00,000 (रुपये बारह लाख मात्र)
5	011	2401000010300 कृषि निदेशालय का सामान्य अधिष्ठान	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	3,00,000 (रुपये तीन लाख मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

6	011	2401000010300 कृषि निदेशालय का सामान्य अधिष्ठान	06 अन्य भत्ते	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
7	011	2401000010300 कृषि निदेशालय का सामान्य अधिष्ठान	07 मानदेय	1,000 (रुपये एक हजार मात्र)
8	011	2401000010300 कृषि निदेशालय का सामान्य अधिष्ठान	08 कार्यालय व्यय	20,00,000 (रुपये बीस लाख मात्र)
9	011	2401000010300 कृषि निदेशालय का सामान्य अधिष्ठान	09 विद्युत देय	1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र)
10	011	2401000010300 कृषि निदेशालय का सामान्य अधिष्ठान	10 जलकर / जल प्रभार	30,00,000 (रुपये तीस लाख मात्र)
11	011	2401000010300 कृषि निदेशालय का सामान्य अधिष्ठान	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
12	011	2401000010300 कृषि निदेशालय का सामान्य अधिष्ठान	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
13	011	2401000010300 कृषि निदेशालय का सामान्य अधिष्ठान	13 टेलीफोन पर व्यय	4,00,000 (रुपये चार लाख मात्र)
14	011	2401000010300 कृषि निदेशालय का सामान्य अधिष्ठान	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	50,00,000 (रुपये पचास लाख मात्र)
15	011	2401000010300 कृषि निदेशालय का सामान्य अधिष्ठान	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
16	011	2401000010300 कृषि निदेशालय का सामान्य अधिष्ठान	17 किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	30,00,000 (रुपये तीस लाख मात्र)
17	011	2401000010300 कृषि निदेशालय का सामान्य अधिष्ठान	29 अनुरक्षण	50,00,000 (रुपये पचास लाख मात्र)
18	011	2401000010300 कृषि निदेशालय का सामान्य अधिष्ठान	42 अन्य व्यय	5,50,000 (रुपये पांच लाख पचास हजार मात्र)
19	011	2401000010300 कृषि निदेशालय का सामान्य अधिष्ठान	42 अन्य व्यय => (भारित)	20,00,000 (रुपये बीस लाख मात्र)
20	011	2401000010300 कृषि निदेशालय का सामान्य अधिष्ठान	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
21	011	2401000010300 कृषि निदेशालय का सामान्य अधिष्ठान	45 अवकाश यात्रा व्यय	2,10,000 (रुपये दो लाख दस हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

22	011	2401000010300 कृषि निदेशालय का सामान्य अधिष्ठान	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	20,00,000 (रुपये बीस लाख मात्र)
23	011	2401000010300 कृषि निदेशालय का सामान्य अधिष्ठान	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	22,00,000 (रुपये बाईस लाख मात्र)
24	011	2401000010300 कृषि निदेशालय का सामान्य अधिष्ठान	49 चिकित्सा व्यय	1,10,00,000 (रुपये एक करोड़ दस लाख मात्र)
25	011	2401000010300 कृषि निदेशालय का सामान्य अधिष्ठान	51 वर्दी व्यय	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
26	011	2401000010300 कृषि निदेशालय का सामान्य अधिष्ठान	55 मकान किराया भत्ता	4,25,00,000 (रुपये चार करोड़ पच्चीस लाख मात्र)
27	011	2401000010300 कृषि निदेशालय का सामान्य अधिष्ठान	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	15,00,000 (रुपये पंद्रह लाख मात्र)
	कुल			**81,40,62,000** **(रुपये इक्यासी करोड़ चालीस लाख बासठ हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2401000010500 (जिला संगठन)

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**प्रस्तावित धनराशि**
1	011	2401000010500 जिला संगठन	01 वेतन	1,04,42,96,000 (रुपये एक अरब चार करोड़ बयालीस लाख छियानबे हजार मात्र)
2	011	2401000010500 जिला संगठन	03 मंहगाई भत्ता	46,99,33,000 (रुपये छियालीस करोड़ निन्यानवे लाख तैंतीस हजार मात्र)
3	011	2401000010500 जिला संगठन	04 यात्रा व्यय	45,00,000 (रुपये पैंतालीस लाख मात्र)
4	011	2401000010500 जिला संगठन	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	6,00,000 (रुपये छह लाख मात्र)
5	011	2401000010500 जिला संगठन	06 अन्य भत्ते	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
6	011	2401000010500 जिला संगठन	08 कार्यालय व्यय	30,00,000 (रुपये तीस लाख मात्र)
7	011	2401000010500 जिला संगठन	09 विद्युत देय	50,00,000 (रुपये पचास लाख मात्र)
8	011	2401000010500 जिला संगठन	10 जलकर / जल प्रभार	15,00,000 (रुपये पंद्रह लाख मात्र)
9	011	2401000010500	11	15,00,000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		जिला संगठन	लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	(रुपये पंद्रह लाख मात्र)
10	011	2401000010500 जिला संगठन	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	15,00,000 (रुपये पंद्रह लाख मात्र)
11	011	2401000010500 जिला संगठन	13 टेलीफोन पर व्यय	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
12	011	2401000010500 जिला संगठन	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	50,00,000 (रुपये पचास लाख मात्र)
13	011	2401000010500 जिला संगठन	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	15,00,000 (रुपये पंद्रह लाख मात्र)
14	011	2401000010500 जिला संगठन	17 किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
15	011	2401000010500 जिला संगठन	29 अनुरक्षण	30,00,000 (रुपये तीस लाख मात्र)
16	011	2401000010500 जिला संगठन	42 अन्य व्यय	5,00,000 (रुपये पांच लाख मात्र)
17	011	2401000010500 जिला संगठन	45 अवकाश यात्रा व्यय	2,50,000 (रुपये दो लाख पचास हजार मात्र)
18	011	2401000010500 जिला संगठन	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	25,00,000 (रुपये पच्चीस लाख मात्र)
19	011	2401000010500 जिला संगठन	49 चिकित्सा व्यय	1,40,00,000 (रुपये एक करोड़ चालीस लाख मात्र)
20	011	2401000010500 जिला संगठन	51 वर्दी व्यय	1,50,000 (रुपये एक लाख पचास हजार मात्र)
21	011	2401000010500 जिला संगठन	55 मकान किराया भत्ता	4,75,00,000 (रुपये चार करोड़ पचहत्तर लाख मात्र)
22	011	2401000010500 जिला संगठन	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	48,25,000 (रुपये अड़तालीस लाख पच्चीस हजार मात्र)
	कुल			**1,61,40,54,000** **(रुपये एक अरब इकसठ करोड़ चालीस लाख चौवन हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2401001030300 (प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन और बीज बर्द्धन प्रक्षेत्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	011	2401001030300 प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन और बीज बर्द्धन प्रक्षेत्र	01 वेतन	13,13,00,000 (रुपये तेरह करोड़ तेरह लाख मात्र)
2	011	2401001030300 प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन और बीज बर्द्धन प्रक्षेत्र	02 मजदूरी	16,00,00,000 (रुपये सोलह करोड़ मात्र)
3	011	2401001030300 प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन और बीज बर्द्धन प्रक्षेत्र	03 मंहगाई भता	5,90,85,000 (रुपये पांच करोड़ नव्वे लाख पचासी हजार मात्र)
4	011	2401001030300 प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन और बीज बर्द्धन प्रक्षेत्र	04 यात्रा व्यय	5,00,000 (रुपये पांच लाख मात्र)
5	011	2401001030300 प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन और बीज बर्द्धन प्रक्षेत्र	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
6	011	2401001030300 प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन और बीज बर्द्धन प्रक्षेत्र	06 अन्य भत्ते	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
7	011	2401001030300 प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन और बीज बर्द्धन प्रक्षेत्र	08 कार्यालय व्यय	3,00,000 (रुपये तीन लाख मात्र)
8	011	2401001030300 प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन और बीज बर्द्धन प्रक्षेत्र	09 विद्युत देय	2,00,00,000 (रुपये दो करोड़ मात्र)
9	011	2401001030300 प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन और बीज बर्द्धन प्रक्षेत्र	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	5,00,000 (रुपये पांच लाख मात्र)
10	011	2401001030300 प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन और बीज बर्द्धन प्रक्षेत्र	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	5,00,000 (रुपये पांच लाख मात्र)
11	011	2401001030300 प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन और बीज बर्द्धन प्रक्षेत्र	13 टेलीफोन पर व्यय	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
12	011	2401001030300 प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन और बीज बर्द्धन प्रक्षेत्र	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	20,00,000 (रुपये बीस लाख मात्र)
13	011	2401001030300 प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन और बीज बर्द्धन प्रक्षेत्र	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
14	011	2401001030300 प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन और बीज बर्द्धन प्रक्षेत्र	29 अनुरक्षण	25,00,000 (रुपये पच्चीस लाख मात्र)
15	011	2401001030300 प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन और बीज बर्द्धन प्रक्षेत्र	42 अन्य व्यय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
16	011	2401001030300 प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन और बीज बर्द्धन प्रक्षेत्र	43 सामग्री एवं सम्पूर्ति	10,00,00,000 (रुपये दस करोड़ मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

17	011	2401001030300 प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन और बीज बर्द्धन प्रक्षेत्र	45 अवकाश यात्रा व्यय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
18	011	2401001030300 प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन और बीज बर्द्धन प्रक्षेत्र	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	5,00,000 (रुपये पांच लाख मात्र)
19	011	2401001030300 प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन और बीज बर्द्धन प्रक्षेत्र	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	2,40,000 (रुपये दो लाख चालीस हजार मात्र)
20	011	2401001030300 प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन और बीज बर्द्धन प्रक्षेत्र	49 चिकित्सा व्यय	15,00,000 (रुपये पंद्रह लाख मात्र)
21	011	2401001030300 प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन और बीज बर्द्धन प्रक्षेत्र	51 वर्दी व्यय	20,000 (रुपये बीस हजार मात्र)
22	011	2401001030300 प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन और बीज बर्द्धन प्रक्षेत्र	55 मकान किराया भत्ता	14,30,000 (रुपये चौदह लाख तीस हजार मात्र)
	कुल			**48,11,75,000** **(रुपये अड़तालीस करोड़ ग्यारह लाख पचहत्तर हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2401001050300 (उर्वरक एवं कीट नाशक गुण नियंत्रण प्रयोगशालायें)

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**प्रस्तावित धनराशि**
1	011	2401001050300 उर्वरक एवं कीट नाशक गुण नियंत्रण प्रयोगशालायें	01 वेतन	1,10,29,000 (रुपये एक करोड़ दस लाख उन्तीस हजार मात्र)
2	011	2401001050300 उर्वरक एवं कीट नाशक गुण नियंत्रण प्रयोगशालायें	02 मजदूरी	3,00,000 (रुपये तीन लाख मात्र)
3	011	2401001050300 उर्वरक एवं कीट नाशक गुण नियंत्रण प्रयोगशालायें	03 मंहगाई भत्ता	49,63,000 (रुपये उनचास लाख त्रेसठ हजार मात्र)
4	011	2401001050300 उर्वरक एवं कीट नाशक गुण नियंत्रण प्रयोगशालायें	04 यात्रा व्यय	1,80,000 (रुपये एक लाख अस्सी हजार मात्र)
5	011	2401001050300 उर्वरक एवं कीट नाशक गुण नियंत्रण प्रयोगशालायें	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	42,000 (रुपये बयालीस हजार मात्र)
6	011	2401001050300 उर्वरक एवं कीट नाशक गुण नियंत्रण प्रयोगशालायें	06 अन्य भत्ते	5,000 (रुपये पांच हजार मात्र)
7	011	2401001050300 उर्वरक एवं कीट नाशक गुण नियंत्रण प्रयोगशालायें	08 कार्यालय व्यय	1,58,000 (रुपये एक लाख अट्ठावन हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

8	011	2401001050300 उर्वरक एवं कीट नाशक गुण नियंत्रण प्रयोगशालायें	09 विद्युत देय	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
9	011	2401001050300 उर्वरक एवं कीट नाशक गुण नियंत्रण प्रयोगशालायें	10 जलकर / जल प्रभार	3,06,000 (रुपये तीन लाख छह हजार मात्र)
10	011	2401001050300 उर्वरक एवं कीट नाशक गुण नियंत्रण प्रयोगशालायें	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	30,000 (रुपये तीस हजार मात्र)
11	011	2401001050300 उर्वरक एवं कीट नाशक गुण नियंत्रण प्रयोगशालायें	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	2,50,000 (रुपये दो लाख पचास हजार मात्र)
12	011	2401001050300 उर्वरक एवं कीट नाशक गुण नियंत्रण प्रयोगशालायें	17 किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	5,10,000 (रुपये पांच लाख दस हजार मात्र)
13	011	2401001050300 उर्वरक एवं कीट नाशक गुण नियंत्रण प्रयोगशालायें	29 अनुरक्षण	7,00,000 (रुपये सात लाख मात्र)
14	011	2401001050300 उर्वरक एवं कीट नाशक गुण नियंत्रण प्रयोगशालायें	42 अन्य व्यय	1,60,000 (रुपये एक लाख साठ हजार मात्र)
15	011	2401001050300 उर्वरक एवं कीट नाशक गुण नियंत्रण प्रयोगशालायें	43 सामग्री एवं सम्पूर्ति	21,00,000 (रुपये इक्कीस लाख मात्र)
16	011	2401001050300 उर्वरक एवं कीट नाशक गुण नियंत्रण प्रयोगशालायें	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	25,000 (रुपये पच्चीस हजार मात्र)
17	011	2401001050300 उर्वरक एवं कीट नाशक गुण नियंत्रण प्रयोगशालायें	45 अवकाश यात्रा व्यय	30,000 (रुपये तीस हजार मात्र)
18	011	2401001050300 उर्वरक एवं कीट नाशक गुण नियंत्रण प्रयोगशालायें	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	90,000 (रुपये नव्वे हजार मात्र)
19	011	2401001050300 उर्वरक एवं कीट नाशक गुण नियंत्रण प्रयोगशालायें	49 चिकित्सा व्यय	4,00,000 (रुपये चार लाख मात्र)
20	011	2401001050300 उर्वरक एवं कीट नाशक गुण नियंत्रण प्रयोगशालायें	51 वर्दी व्यय	15,000 (रुपये पंद्रह हजार मात्र)
21	011	2401001050300 उर्वरक एवं कीट नाशक गुण नियंत्रण प्रयोगशालायें	55 मकान किराया भत्ता	7,33,000 (रुपये सात लाख तैंतीस हजार मात्र)
22	011	2401001050300 उर्वरक एवं कीट नाशक गुण नियंत्रण प्रयोगशालायें	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	20,30,000 (रुपये बीस लाख तीस हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	कुल			**2,50,56,000** **(रुपये दो करोड़ पचास लाख छप्पन हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2401001070300 (पौध संरक्षण सेवा तथा कृषि रक्षा सेवा)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	011	2401001070300 पौध संरक्षण सेवा तथा कृषि रक्षा सेवा	01 वेतन	1,10,62,71,000 (रुपये एक अरब दस करोड़ बासठ लाख इकहत्तर हजार मात्र)
2	011	2401001070300 पौध संरक्षण सेवा तथा कृषि रक्षा सेवा	03 मंहगाई भत्ता	49,78,22,000 (रुपये उनचास करोड़ अठहत्तर लाख बाईस हजार मात्र)
3	011	2401001070300 पौध संरक्षण सेवा तथा कृषि रक्षा सेवा	04 यात्रा व्यय	20,00,000 (रुपये बीस लाख मात्र)
4	011	2401001070300 पौध संरक्षण सेवा तथा कृषि रक्षा सेवा	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	3,00,000 (रुपये तीन लाख मात्र)
5	011	2401001070300 पौध संरक्षण सेवा तथा कृषि रक्षा सेवा	06 अन्य भत्ते	8,00,000 (रुपये आठ लाख मात्र)
6	011	2401001070300 पौध संरक्षण सेवा तथा कृषि रक्षा सेवा	08 कार्यालय व्यय	5,00,000 (रुपये पांच लाख मात्र)
7	011	2401001070300 पौध संरक्षण सेवा तथा कृषि रक्षा सेवा	09 विद्युत देय	30,00,000 (रुपये तीस लाख मात्र)
8	011	2401001070300 पौध संरक्षण सेवा तथा कृषि रक्षा सेवा	10 जलकर / जल प्रभार	1,50,000 (रुपये एक लाख पचास हजार मात्र)
9	011	2401001070300 पौध संरक्षण सेवा तथा कृषि रक्षा सेवा	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	3,50,000 (रुपये तीन लाख पचास हजार मात्र)
10	011	2401001070300 पौध संरक्षण सेवा तथा कृषि रक्षा सेवा	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
11	011	2401001070300 पौध संरक्षण सेवा तथा कृषि रक्षा सेवा	13 टेलीफोन पर व्यय	4,00,000 (रुपये चार लाख मात्र)
12	011	2401001070300 पौध संरक्षण सेवा तथा कृषि रक्षा सेवा	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	25,00,000 (रुपये पच्चीस लाख मात्र)
13	011	2401001070300 पौध संरक्षण सेवा तथा कृषि रक्षा सेवा	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
14	011	2401001070300 पौध संरक्षण सेवा तथा कृषि रक्षा सेवा	17 किराया, उपशुल्क और	20,00,000 (रुपये बीस लाख मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

			कर-स्वामिस्व	
15	011	2401001070300 पौध संरक्षण सेवा तथा कृषि रक्षा सेवा	29 अनुरक्षण	2,50,000 (रुपये दो लाख पचास हजार मात्र)
16	011	2401001070300 पौध संरक्षण सेवा तथा कृषि रक्षा सेवा	42 अन्य व्यय	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
17	011	2401001070300 पौध संरक्षण सेवा तथा कृषि रक्षा सेवा	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	3,00,000 (रुपये तीन लाख मात्र)
18	011	2401001070300 पौध संरक्षण सेवा तथा कृषि रक्षा सेवा	45 अवकाश यात्रा व्यय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
19	011	2401001070300 पौध संरक्षण सेवा तथा कृषि रक्षा सेवा	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	1,50,000 (रुपये एक लाख पचास हजार मात्र)
20	011	2401001070300 पौध संरक्षण सेवा तथा कृषि रक्षा सेवा	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	2,50,000 (रुपये दो लाख पचास हजार मात्र)
21	011	2401001070300 पौध संरक्षण सेवा तथा कृषि रक्षा सेवा	49 चिकित्सा व्यय	35,00,000 (रुपये पैंतीस लाख मात्र)
22	011	2401001070300 पौध संरक्षण सेवा तथा कृषि रक्षा सेवा	51 वर्दी व्यय	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
23	011	2401001070300 पौध संरक्षण सेवा तथा कृषि रक्षा सेवा	55 मकान किराया भत्ता	6,24,04,000 (रुपये छह करोड़ चौबीस लाख चार हजार मात्र)
24	011	2401001070300 पौध संरक्षण सेवा तथा कृषि रक्षा सेवा	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
	कुल			**1,68,44,97,000** **(रुपये एक अरब अड़सठ करोड़ चवालीस लाख सत्तानवे हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2401001090300 (कृषि प्रसार प्रायोजना तथा प्रदर्शनियां)

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**प्रस्तावित धनराशि**
1	011	2401001090300 कृषि प्रसार प्रायोजना तथा प्रदर्शनियां	01 वेतन	3,64,16,57,000 (रुपये तीन अरब चौंसठ करोड़ सोलह लाख सत्तावन हजार मात्र)
2	011	2401001090300 कृषि प्रसार प्रायोजना तथा प्रदर्शनियां	02 मजदूरी	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
3	011	2401001090300 कृषि प्रसार प्रायोजना तथा प्रदर्शनियां	03 मंहगाई भत्ता	1,63,87,46,000 (रुपये एक अरब त्रेसठ करोड़ सतासी लाख

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

				छियालीस हजार मात्र)
4	011	2401001090300 कृषि प्रसार प्रायोजना तथा प्रदर्शनियां	04 यात्रा व्यय	45,00,000 (रुपये पैंतालीस लाख मात्र)
5	011	2401001090300 कृषि प्रसार प्रायोजना तथा प्रदर्शनियां	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	6,00,000 (रुपये छह लाख मात्र)
6	011	2401001090300 कृषि प्रसार प्रायोजना तथा प्रदर्शनियां	06 अन्य भत्ते	2,86,28,000 (रुपये दो करोड़ छियासी लाख अट्ठाईस हजार मात्र)
7	011	2401001090300 कृषि प्रसार प्रायोजना तथा प्रदर्शनियां	08 कार्यालय व्यय	15,00,000 (रुपये पंद्रह लाख मात्र)
8	011	2401001090300 कृषि प्रसार प्रायोजना तथा प्रदर्शनियां	09 विद्युत देय	3,65,00,000 (रुपये तीन करोड़ पैंसठ लाख मात्र)
9	011	2401001090300 कृषि प्रसार प्रायोजना तथा प्रदर्शनियां	10 जलकर / जल प्रभार	45,00,000 (रुपये पैंतालीस लाख मात्र)
10	011	2401001090300 कृषि प्रसार प्रायोजना तथा प्रदर्शनियां	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	6,00,000 (रुपये छह लाख मात्र)
11	011	2401001090300 कृषि प्रसार प्रायोजना तथा प्रदर्शनियां	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	4,00,000 (रुपये चार लाख मात्र)
12	011	2401001090300 कृषि प्रसार प्रायोजना तथा प्रदर्शनियां	13 टेलीफोन पर व्यय	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
13	011	2401001090300 कृषि प्रसार प्रायोजना तथा प्रदर्शनियां	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	70,50,000 (रुपये सत्तर लाख पचास हजार मात्र)
14	011	2401001090300 कृषि प्रसार प्रायोजना तथा प्रदर्शनियां	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	2,50,000 (रुपये दो लाख पचास हजार मात्र)
15	011	2401001090300 कृषि प्रसार प्रायोजना तथा प्रदर्शनियां	17 किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	35,00,000 (रुपये पैंतीस लाख मात्र)
16	011	2401001090300 कृषि प्रसार प्रायोजना तथा प्रदर्शनियां	29 अनुरक्षण	20,00,000 (रुपये बीस लाख मात्र)
17	011	2401001090300 कृषि प्रसार प्रायोजना तथा प्रदर्शनियां	42 अन्य व्यय	5,00,000 (रुपये पांच लाख मात्र)
18	011	2401001090300 कृषि प्रसार प्रायोजना तथा प्रदर्शनियां	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
19	011	2401001090300 कृषि प्रसार प्रायोजना तथा प्रदर्शनियां	45 अवकाश यात्रा व्यय	4,00,000 (रुपये चार लाख मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

20	011	2401001090300 कृषि प्रसार प्रायोजना तथा प्रदर्शनियां	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	60,000 (रुपये साठ हजार मात्र)
21	011	2401001090300 कृषि प्रसार प्रायोजना तथा प्रदर्शनियां	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	1,10,000 (रुपये एक लाख दस हजार मात्र)
22	011	2401001090300 कृषि प्रसार प्रायोजना तथा प्रदर्शनियां	49 चिकित्सा व्यय	2,00,00,000 (रुपये दो करोड़ मात्र)
23	011	2401001090300 कृषि प्रसार प्रायोजना तथा प्रदर्शनियां	51 वर्दी व्यय	1,50,000 (रुपये एक लाख पचास हजार मात्र)
24	011	2401001090300 कृषि प्रसार प्रायोजना तथा प्रदर्शनियां	55 मकान किराया भत्ता	20,71,84,000 (रुपये बीस करोड़ इकहत्तर लाख चौरासी हजार मात्र)
	कुल			**5,60,02,35,000** **(रुपये पांच अरब साठ करोड़ दो लाख पैंतीस हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2401001110300 (कृषि आंकड़ों में सुधार हेतु प्रायोजना)

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**प्रस्तावित धनराशि**
1	011	2401001110300 कृषि आंकड़ों में सुधार हेतु प्रायोजना	01 वेतन	13,42,47,000 (रुपये तेरह करोड़ बयालीस लाख सैंतालीस हजार मात्र)
2	011	2401001110300 कृषि आंकड़ों में सुधार हेतु प्रायोजना	02 मजदूरी	60,00,000 (रुपये साठ लाख मात्र)
3	011	2401001110300 कृषि आंकड़ों में सुधार हेतु प्रायोजना	03 मंहगाई भत्ता	6,04,11,000 (रुपये छह करोड़ चार लाख ग्यारह हजार मात्र)
4	011	2401001110300 कृषि आंकड़ों में सुधार हेतु प्रायोजना	04 यात्रा व्यय	5,00,000 (रुपये पांच लाख मात्र)
5	011	2401001110300 कृषि आंकड़ों में सुधार हेतु प्रायोजना	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
6	011	2401001110300 कृषि आंकड़ों में सुधार हेतु प्रायोजना	07 मानदेय	60,00,000 (रुपये साठ लाख मात्र)
7	011	2401001110300 कृषि आंकड़ों में सुधार हेतु प्रायोजना	08 कार्यालय व्यय	4,00,000 (रुपये चार लाख मात्र)
8	011	2401001110300 कृषि आंकड़ों में सुधार हेतु प्रायोजना	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	3,15,000 (रुपये तीन लाख पंद्रह हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

9	011	2401001110300 कृषि आंकड़ों में सुधार हेतु प्रायोजना	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	3,00,000 (रुपये तीन लाख मात्र)
10	011	2401001110300 कृषि आंकड़ों में सुधार हेतु प्रायोजना	13 टेलीफोन पर व्यय	1,50,000 (रुपये एक लाख पचास हजार मात्र)
11	011	2401001110300 कृषि आंकड़ों में सुधार हेतु प्रायोजना	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	2,50,000 (रुपये दो लाख पचास हजार मात्र)
12	011	2401001110300 कृषि आंकड़ों में सुधार हेतु प्रायोजना	42 अन्य व्यय	1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र)
13	011	2401001110300 कृषि आंकड़ों में सुधार हेतु प्रायोजना	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
14	011	2401001110300 कृषि आंकड़ों में सुधार हेतु प्रायोजना	45 अवकाश यात्रा व्यय	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
15	011	2401001110300 कृषि आंकड़ों में सुधार हेतु प्रायोजना	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
16	011	2401001110300 कृषि आंकड़ों में सुधार हेतु प्रायोजना	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	1,50,000 (रुपये एक लाख पचास हजार मात्र)
17	011	2401001110300 कृषि आंकड़ों में सुधार हेतु प्रायोजना	49 चिकित्सा व्यय	15,00,000 (रुपये पंद्रह लाख मात्र)
18	011	2401001110300 कृषि आंकड़ों में सुधार हेतु प्रायोजना	51 वर्दी व्यय	10,000 (रुपये दस हजार मात्र)
19	011	2401001110300 कृषि आंकड़ों में सुधार हेतु प्रायोजना	55 मकान किराया भत्ता	67,30,000 (रुपये सड़सठ लाख तीस हजार मात्र)
	कुल			**22,73,13,000** **(रुपये बाईस करोड़ तिहत्तर लाख तेरह हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2401001110400 (कृषि विभाग में कृषि सांख्यिकी तथा प्रबन्ध व्यवस्था के संबंध में कम्प्यूटराइजेशन का अध्ययन एवं डिजाइन तैयार करना)

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**प्रस्तावित धनराशि**
1	011	2401001110400 कृषि विभाग में कृषि सांख्यिकी तथा प्रबन्ध व्यवस्था के संबंध में कम्प्यूटराइजेशन का	01 वेतन	14,96,000 (रुपये चौदह लाख छियानबे हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		अध्ययन एवं डिजाइन तैयार करना		
2	011	2401001110400 कृषि विभाग में कृषि सांख्यिकी तथा प्रबन्ध व्यवस्था के संबंध में कम्प्यूटराइजेशन का अध्ययन एवं डिजाइन तैयार करना	03 मंहगाई भत्ता	6,73,000 (रुपये छह लाख तिहत्तर हजार मात्र)
3	011	2401001110400 कृषि विभाग में कृषि सांख्यिकी तथा प्रबन्ध व्यवस्था के संबंध में कम्प्यूटराइजेशन का अध्ययन एवं डिजाइन तैयार करना	04 यात्रा व्यय	1,50,000 (रुपये एक लाख पचास हजार मात्र)
4	011	2401001110400 कृषि विभाग में कृषि सांख्यिकी तथा प्रबन्ध व्यवस्था के संबंध में कम्प्यूटराइजेशन का अध्ययन एवं डिजाइन तैयार करना	08 कार्यालय व्यय	2,50,000 (रुपये दो लाख पचास हजार मात्र)
5	011	2401001110400 कृषि विभाग में कृषि सांख्यिकी तथा प्रबन्ध व्यवस्था के संबंध में कम्प्यूटराइजेशन का अध्ययन एवं डिजाइन तैयार करना	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	40,000 (रुपये चालीस हजार मात्र)
6	011	2401001110400 कृषि विभाग में कृषि सांख्यिकी तथा प्रबन्ध व्यवस्था के संबंध में कम्प्यूटराइजेशन का अध्ययन एवं डिजाइन तैयार करना	29 अनुरक्षण	3,00,000 (रुपये तीन लाख मात्र)
7	011	2401001110400 कृषि विभाग में कृषि सांख्यिकी तथा प्रबन्ध व्यवस्था के संबंध में कम्प्यूटराइजेशन का अध्ययन एवं डिजाइन तैयार करना	42 अन्य व्यय	60,000 (रुपये साठ हजार मात्र)
8	011	2401001110400 कृषि विभाग में कृषि सांख्यिकी तथा प्रबन्ध व्यवस्था के संबंध में कम्प्यूटराइजेशन का अध्ययन एवं डिजाइन तैयार करना	45 अवकाश यात्रा व्यय	30,000 (रुपये तीस हजार मात्र)
9	011	2401001110400 कृषि विभाग में कृषि सांख्यिकी तथा प्रबन्ध व्यवस्था के संबंध में कम्प्यूटराइजेशन का अध्ययन एवं डिजाइन तैयार करना	49 चिकित्सा व्यय	5,00,000 (रुपये पांच लाख मात्र)
10	011	2401001110400 कृषि विभाग में कृषि सांख्यिकी तथा प्रबन्ध व्यवस्था के संबंध में कम्प्यूटराइजेशन का अध्ययन एवं डिजाइन तैयार करना	51 वर्दी व्यय	5,000 (रुपये पांच हजार मात्र)
11	011	2401001110400 कृषि विभाग में कृषि सांख्यिकी तथा प्रबन्ध व्यवस्था के संबंध में कम्प्यूटराइजेशन का अध्ययन एवं डिजाइन तैयार करना	55 मकान किराया भत्ता	80,000 (रुपये अस्सी हजार मात्र)
	कुल			**35,84,000** **(रुपये पैंतीस लाख चौरासी हजार मात्र)**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

लेखाशीर्ष: 2402000010300 (अधिष्ठान व्यय)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	011	2402000010300 अधिष्ठान व्यय	01 वेतन	8,43,92,000 (रुपये आठ करोड़ तैंतालीस लाख बयान्वे हजार मात्र)
2	011	2402000010300 अधिष्ठान व्यय	03 मंहगाई भत्ता	3,79,76,000 (रुपये तीन करोड़ उनासी लाख छिहत्तर हजार मात्र)
3	011	2402000010300 अधिष्ठान व्यय	04 यात्रा व्यय	1,80,000 (रुपये एक लाख अस्सी हजार मात्र)
4	011	2402000010300 अधिष्ठान व्यय	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
5	011	2402000010300 अधिष्ठान व्यय	06 अन्य भत्ते	5,00,000 (रुपये पांच लाख मात्र)
6	011	2402000010300 अधिष्ठान व्यय	08 कार्यालय व्यय	1,50,000 (रुपये एक लाख पचास हजार मात्र)
7	011	2402000010300 अधिष्ठान व्यय	09 विद्युत देय	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
8	011	2402000010300 अधिष्ठान व्यय	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
9	011	2402000010300 अधिष्ठान व्यय	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
10	011	2402000010300 अधिष्ठान व्यय	13 टेलीफोन पर व्यय	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
11	011	2402000010300 अधिष्ठान व्यय	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	4,50,000 (रुपये चार लाख पचास हजार मात्र)
12	011	2402000010300 अधिष्ठान व्यय	29 अनुरक्षण	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
13	011	2402000010300 अधिष्ठान व्यय	42 अन्य व्यय	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
14	011	2402000010300 अधिष्ठान व्यय	45 अवकाश यात्रा व्यय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
15	011	2402000010300 अधिष्ठान व्यय	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	1,50,000 (रुपये एक लाख पचास हजार मात्र)
16	011	2402000010300	47	50,000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		अधिष्ठान व्यय	कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	(रुपये पचास हजार मात्र)
17	011	2402000010300 अधिष्ठान व्यय	49 चिकित्सा व्यय	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
18	011	2402000010300 अधिष्ठान व्यय	51 वर्दी व्यय	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
19	011	2402000010300 अधिष्ठान व्यय	55 मकान किराया भत्ता	70,00,000 (रुपये सत्तर लाख मात्र)
	कुल			**13,29,48,000** **(रुपये तेरह करोड़ उन्तीस लाख अड़तालीस हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2402001010300 (मृदा,सर्वेक्षण व परीक्षण कार्यक्रम)

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**प्रस्तावित धनराशि**
1	011	2402001010300 मृदा,सर्वेक्षण व परीक्षण कार्यक्रम	01 वेतन	2,01,57,10,000 (रुपये दो अरब एक करोड़ सतावन लाख दस हजार मात्र)
2	011	2402001010300 मृदा,सर्वेक्षण व परीक्षण कार्यक्रम	02 मजदूरी	3,75,000 (रुपये तीन लाख पचहत्तर हजार मात्र)
3	011	2402001010300 मृदा,सर्वेक्षण व परीक्षण कार्यक्रम	03 मंहगाई भत्ता	90,70,70,000 (रुपये नव्वे करोड़ सत्तर लाख सत्तर हजार मात्र)
4	011	2402001010300 मृदा,सर्वेक्षण व परीक्षण कार्यक्रम	04 यात्रा व्यय	71,20,000 (रुपये इकहत्तर लाख बीस हजार मात्र)
5	011	2402001010300 मृदा,सर्वेक्षण व परीक्षण कार्यक्रम	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	7,00,000 (रुपये सात लाख मात्र)
6	011	2402001010300 मृदा,सर्वेक्षण व परीक्षण कार्यक्रम	06 अन्य भत्ते	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
7	011	2402001010300 मृदा,सर्वेक्षण व परीक्षण कार्यक्रम	08 कार्यालय व्यय	20,00,000 (रुपये बीस लाख मात्र)
8	011	2402001010300 मृदा,सर्वेक्षण व परीक्षण कार्यक्रम	09 विद्युत देय	1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र)
9	011	2402001010300 मृदा,सर्वेक्षण व परीक्षण कार्यक्रम	10 जलकर / जल प्रभार	5,00,000 (रुपये पांच लाख मात्र)
10	011	2402001010300 मृदा,सर्वेक्षण व परीक्षण कार्यक्रम	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	3,00,000 (रुपये तीन लाख मात्र)
11	011	2402001010300 मृदा,सर्वेक्षण व परीक्षण कार्यक्रम	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

12	011	2402001010300 मृदा,सर्वेक्षण व परीक्षण कार्यक्रम	13 टेलीफोन पर व्यय	7,50,000 (रुपये सात लाख पचास हजार मात्र)
13	011	2402001010300 मृदा,सर्वेक्षण व परीक्षण कार्यक्रम	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	60,00,000 (रुपये साठ लाख मात्र)
14	011	2402001010300 मृदा,सर्वेक्षण व परीक्षण कार्यक्रम	17 किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	35,00,000 (रुपये पैंतीस लाख मात्र)
15	011	2402001010300 मृदा,सर्वेक्षण व परीक्षण कार्यक्रम	29 अनुरक्षण	3,00,000 (रुपये तीन लाख मात्र)
16	011	2402001010300 मृदा,सर्वेक्षण व परीक्षण कार्यक्रम	42 अन्य व्यय	53,00,000 (रुपये तिरपन लाख मात्र)
17	011	2402001010300 मृदा,सर्वेक्षण व परीक्षण कार्यक्रम	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
18	011	2402001010300 मृदा,सर्वेक्षण व परीक्षण कार्यक्रम	45 अवकाश यात्रा व्यय	4,00,000 (रुपये चार लाख मात्र)
19	011	2402001010300 मृदा,सर्वेक्षण व परीक्षण कार्यक्रम	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
20	011	2402001010300 मृदा,सर्वेक्षण व परीक्षण कार्यक्रम	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
21	011	2402001010300 मृदा,सर्वेक्षण व परीक्षण कार्यक्रम	49 चिकित्सा व्यय	1,20,00,000 (रुपये एक करोड़ बीस लाख मात्र)
22	011	2402001010300 मृदा,सर्वेक्षण व परीक्षण कार्यक्रम	51 वर्दी व्यय	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
23	011	2402001010300 मृदा,सर्वेक्षण व परीक्षण कार्यक्रम	55 मकान किराया भत्ता	10,00,00,000 (रुपये दस करोड़ मात्र)
	कुल			**3,07,47,25,000** **(रुपये तीन अरब सात करोड़ सैंतालीस लाख पच्चीस हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2402001010400 (प्रदेश की 9 जनपदीय भूमि परीक्षण प्रयोगशालाओ की राइजी- वियम कल्चर उत्पादन हेतु सुदृढ़ीकरण योजना)

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**प्रस्तावित धनराशि**
1	011	2402001010400 प्रदेश की 9 जनपदीय भूमि परीक्षण प्रयोगशालाओ की राइजी- वियम कल्चर	01 वेतन	83,71,000 (रुपये तिरासी लाख इकहत्तर हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		उत्पादन हेतु सुदृढ़ीकरण योजना		
2	011	2402001010400 प्रदेश की 9 जनपदीय भूमि परीक्षण प्रयोगशालाओ की राइजी- वियम कल्चर उत्पादन हेतु सुदृढ़ीकरण योजना	02 मजदूरी	6,50,000 (रुपये छह लाख पचास हजार मात्र)
3	011	2402001010400 प्रदेश की 9 जनपदीय भूमि परीक्षण प्रयोगशालाओ की राइजी- वियम कल्चर उत्पादन हेतु सुदृढ़ीकरण योजना	03 मंहगाई भत्ता	37,67,000 (रुपये सैंतीस लाख सड़सठ हजार मात्र)
4	011	2402001010400 प्रदेश की 9 जनपदीय भूमि परीक्षण प्रयोगशालाओ की राइजी- वियम कल्चर उत्पादन हेतु सुदृढ़ीकरण योजना	04 यात्रा व्यय	1,32,000 (रुपये एक लाख बत्तीस हजार मात्र)
5	011	2402001010400 प्रदेश की 9 जनपदीय भूमि परीक्षण प्रयोगशालाओ की राइजी- वियम कल्चर उत्पादन हेतु सुदृढ़ीकरण योजना	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	1,10,000 (रुपये एक लाख दस हजार मात्र)
6	011	2402001010400 प्रदेश की 9 जनपदीय भूमि परीक्षण प्रयोगशालाओ की राइजी- वियम कल्चर उत्पादन हेतु सुदृढ़ीकरण योजना	06 अन्य भत्ते	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
7	011	2402001010400 प्रदेश की 9 जनपदीय भूमि परीक्षण प्रयोगशालाओ की राइजी- वियम कल्चर उत्पादन हेतु सुदृढ़ीकरण योजना	08 कार्यालय व्यय	1,35,000 (रुपये एक लाख पैंतीस हजार मात्र)
8	011	2402001010400 प्रदेश की 9 जनपदीय भूमि परीक्षण प्रयोगशालाओ की राइजी- वियम कल्चर उत्पादन हेतु सुदृढ़ीकरण योजना	09 विद्युत देय	55,00,000 (रुपये पचपन लाख मात्र)
9	011	2402001010400 प्रदेश की 9 जनपदीय भूमि परीक्षण प्रयोगशालाओ की राइजी- वियम कल्चर उत्पादन हेतु सुदृढ़ीकरण योजना	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	83,000 (रुपये तिरासी हजार मात्र)
10	011	2402001010400 प्रदेश की 9 जनपदीय भूमि परीक्षण प्रयोगशालाओ की राइजी- वियम कल्चर उत्पादन हेतु सुदृढ़ीकरण योजना	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	55,000 (रुपये पचपन हजार मात्र)
11	011	2402001010400 प्रदेश की 9 जनपदीय भूमि परीक्षण प्रयोगशालाओ की राइजी- वियम कल्चर उत्पादन हेतु सुदृढ़ीकरण योजना	29 अनुरक्षण	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
12	011	2402001010400 प्रदेश की 9 जनपदीय भूमि परीक्षण प्रयोगशालाओ की राइजी- वियम कल्चर	42 अन्य व्यय	55,000 (रुपये पचपन हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		उत्पादन हेतु सुदृढ़ीकरण योजना		
13	011	2402001010400 प्रदेश की 9 जनपदीय भूमि परीक्षण प्रयोगशालाओ की राइजी- वियम कल्चर उत्पादन हेतु सुदृढ़ीकरण योजना	43 सामग्री एवं सम्पूर्ति	8,80,000 (रुपये आठ लाख अस्सी हजार मात्र)
14	011	2402001010400 प्रदेश की 9 जनपदीय भूमि परीक्षण प्रयोगशालाओ की राइजी- वियम कल्चर उत्पादन हेतु सुदृढ़ीकरण योजना	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	22,000 (रुपये बाईस हजार मात्र)
15	011	2402001010400 प्रदेश की 9 जनपदीय भूमि परीक्षण प्रयोगशालाओ की राइजी- वियम कल्चर उत्पादन हेतु सुदृढ़ीकरण योजना	45 अवकाश यात्रा व्यय	22,000 (रुपये बाईस हजार मात्र)
16	011	2402001010400 प्रदेश की 9 जनपदीय भूमि परीक्षण प्रयोगशालाओ की राइजी- वियम कल्चर उत्पादन हेतु सुदृढ़ीकरण योजना	49 चिकित्सा व्यय	9,90,000 (रुपये नौ लाख नव्वे हजार मात्र)
17	011	2402001010400 प्रदेश की 9 जनपदीय भूमि परीक्षण प्रयोगशालाओ की राइजी- वियम कल्चर उत्पादन हेतु सुदृढ़ीकरण योजना	51 वर्दी व्यय	11,000 (रुपये ग्यारह हजार मात्र)
18	011	2402001010400 प्रदेश की 9 जनपदीय भूमि परीक्षण प्रयोगशालाओ की राइजी- वियम कल्चर उत्पादन हेतु सुदृढ़ीकरण योजना	55 मकान किराया भत्ता	8,50,000 (रुपये आठ लाख पचास हजार मात्र)
	कुल			**2,17,83,000** **(रुपये दो करोड़ सत्रह लाख तिरासी हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2415010040300 (उर्वरक नियंत्रण आदेश,बीज एवं कीट नाशक अधिनियमों के अन्तर्गत लियें गये नमूनों के विश्लेषण हेतु प्रयोगशाला)

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**प्रस्तावित धनराशि**
1	011	2415010040300 उर्वरक नियंत्रण आदेश,बीज एवं कीट नाशक अधिनियमों के अन्तर्गत लियें गये नमूनों के विश्लेषण हेतु प्रयोगशाला	01 वेतन	36,56,000 (रुपये छतीस लाख छप्पन हजार मात्र)
2	011	2415010040300 उर्वरक नियंत्रण आदेश,बीज एवं कीट नाशक अधिनियमों के अन्तर्गत लियें गये नमूनों के विश्लेषण हेतु प्रयोगशाला	03 मंहगाई भत्ता	16,45,000 (रुपये सोलह लाख पैंतालीस हजार मात्र)
3	011	2415010040300 उर्वरक नियंत्रण आदेश,बीज एवं कीट नाशक अधिनियमों के अन्तर्गत लियें गये नमूनों के	04 यात्रा व्यय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		विश्लेषण हेतु प्रयोगशाला		
4	011	2415010040300 उर्वरक नियंत्रण आदेश,बीज एवं कीट नाशक अधिनियमों के अन्तर्गत लियें गये नमूनों के विश्लेषण हेतु प्रयोगशाला	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	30,000 (रुपये तीस हजार मात्र)
5	011	2415010040300 उर्वरक नियंत्रण आदेश,बीज एवं कीट नाशक अधिनियमों के अन्तर्गत लियें गये नमूनों के विश्लेषण हेतु प्रयोगशाला	08 कार्यालय व्यय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
6	011	2415010040300 उर्वरक नियंत्रण आदेश,बीज एवं कीट नाशक अधिनियमों के अन्तर्गत लियें गये नमूनों के विश्लेषण हेतु प्रयोगशाला	13 टेलीफोन पर व्यय	7,000 (रुपये सात हजार मात्र)
7	011	2415010040300 उर्वरक नियंत्रण आदेश,बीज एवं कीट नाशक अधिनियमों के अन्तर्गत लियें गये नमूनों के विश्लेषण हेतु प्रयोगशाला	42 अन्य व्यय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
8	011	2415010040300 उर्वरक नियंत्रण आदेश,बीज एवं कीट नाशक अधिनियमों के अन्तर्गत लियें गये नमूनों के विश्लेषण हेतु प्रयोगशाला	43 सामग्री एवं सम्पूर्ति	12,50,000 (रुपये बारह लाख पचास हजार मात्र)
9	011	2415010040300 उर्वरक नियंत्रण आदेश,बीज एवं कीट नाशक अधिनियमों के अन्तर्गत लियें गये नमूनों के विश्लेषण हेतु प्रयोगशाला	45 अवकाश यात्रा व्यय	30,000 (रुपये तीस हजार मात्र)
10	011	2415010040300 उर्वरक नियंत्रण आदेश,बीज एवं कीट नाशक अधिनियमों के अन्तर्गत लियें गये नमूनों के विश्लेषण हेतु प्रयोगशाला	49 चिकित्सा व्यय	1,50,000 (रुपये एक लाख पचास हजार मात्र)
11	011	2415010040300 उर्वरक नियंत्रण आदेश,बीज एवं कीट नाशक अधिनियमों के अन्तर्गत लियें गये नमूनों के विश्लेषण हेतु प्रयोगशाला	51 वर्दी व्यय	5,000 (रुपये पांच हजार मात्र)
12	011	2415010040300 उर्वरक नियंत्रण आदेश,बीज एवं कीट नाशक अधिनियमों के अन्तर्गत लियें गये नमूनों के विश्लेषण हेतु प्रयोगशाला	55 मकान किराया भत्ता	2,10,000 (रुपये दो लाख दस हजार मात्र)
	कुल			**72,83,000** **(रुपये बहत्तर लाख तिरासी हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2415012770300 (राजकीय कृषि विद्यालय)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

1	011	2415012770300 राजकीय कृषि विद्यालय	01 वेतन	5,54,47,000 (रुपये पांच करोड़ चौवन लाख सैंतालीस हजार मात्र)
2	011	2415012770300 राजकीय कृषि विद्यालय	02 मजदूरी	9,00,000 (रुपये नौ लाख मात्र)
3	011	2415012770300 राजकीय कृषि विद्यालय	03 मंहगाई भत्ता	2,49,51,000 (रुपये दो करोड़ उनचास लाख इक्यावन हजार मात्र)
4	011	2415012770300 राजकीय कृषि विद्यालय	04 यात्रा व्यय	8,00,000 (रुपये आठ लाख मात्र)
5	011	2415012770300 राजकीय कृषि विद्यालय	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
6	011	2415012770300 राजकीय कृषि विद्यालय	06 अन्य भत्ते	15,70,000 (रुपये पंद्रह लाख सत्तर हजार मात्र)
7	011	2415012770300 राजकीय कृषि विद्यालय	08 कार्यालय व्यय	3,00,000 (रुपये तीन लाख मात्र)
8	011	2415012770300 राजकीय कृषि विद्यालय	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
9	011	2415012770300 राजकीय कृषि विद्यालय	13 टेलीफोन पर व्यय	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
10	011	2415012770300 राजकीय कृषि विद्यालय	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	5,00,000 (रुपये पांच लाख मात्र)
11	011	2415012770300 राजकीय कृषि विद्यालय	29 अनुरक्षण	9,00,000 (रुपये नौ लाख मात्र)
12	011	2415012770300 राजकीय कृषि विद्यालय	42 अन्य व्यय	5,00,000 (रुपये पांच लाख मात्र)
13	011	2415012770300 राजकीय कृषि विद्यालय	43 सामग्री एवं सम्पूर्ति	5,00,000 (रुपये पांच लाख मात्र)
14	011	2415012770300 राजकीय कृषि विद्यालय	45 अवकाश यात्रा व्यय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
15	011	2415012770300 राजकीय कृषि विद्यालय	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
16	011	2415012770300 राजकीय कृषि विद्यालय	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
17	011	2415012770300 राजकीय कृषि विद्यालय	49 चिकित्सा व्यय	13,00,000 (रुपये तेरह लाख मात्र)
18	011	2415012770300 राजकीय कृषि विद्यालय	51 वर्दी व्यय	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
19	011	2415012770300	55	21,20,000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		राजकीय कृषि विद्यालय	मकान किराया भत्ता	(रुपये इक्कीस लाख बीस हजार मात्र)
	कुल			**9,08,38,000 (रुपये नौ करोड़ आठ लाख अड़तीस हजार मात्र)**

महायोग	13,77,75,53,000 (रुपये तेरह अरब सतहत्तर करोड़ पचहत्तर लाख तिरपन हजार मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
राजीव श्रीवास्तव
विशेष सचिव,

संख्या-35/2023/001-533-2366430-2023-12-5002-002-1-2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
2- महालेखाकार (लेखापरीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- प्रधान महालेखाकार,(सिविल/ आडिट) प्रथम/द्वितीय , उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4- निदेशक, सम्वर्ती सम्परीक्षा स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 ,लखनऊ।
6- वितत् नियंत्रक, कृषि निदेशालय, उ0प्र0 ,लखनऊ।
7- वित्ति (वयय-नियंत्रण) अनुभाग-1/ वितत् (आय-व्ययक) अनुभाग-1 ।
8- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, उ0प्र0 ,लखनऊ।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
राजीव श्रीवास्तव
विशेष सचिव,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।